

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में अति० जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 24 मई, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर इकाई द्वारा आज भरतपुर में कार्यवाही करते हुये सुनील कुमार अग्रवाल, हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय, भरतपुर को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की धौलपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी वेतन वृद्धि इत्यादि का संशोधित आदेश जारी करने की एवज में सुनील अग्रवाल ए.डी.ई.ई.ओ. भरतपुर व अजय गुप्ता, संस्थापन बाबू द्वारा 8 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी की धौलपुर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस, श्री सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र प्रकाशचन्द्र अग्रवाल निवासी गिरीश कॉलोनी भरतपुर, हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय, भरतपुर को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।